सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/94** दायर दिनांक **13.04.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. छोटीदेवी पत्नी स्व0 भूराराम, उम्र–70साल, जाति–मेघवाल, 2. मेगाराम पुत्र स्व0 भूराराम, उम्र–40साल, जाति–मेघवाल, 3. छोटुराम पुत्र स्व0 भूराराम, उम्र–37साल, जाति–मेघवाल, समस्त,निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नेमीचन्द पुत्र स्व0 कालूराम, जाति–नायक, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. कानाराम पुत्र सुण्डाराम, जाति–नायक, 3. भैंरूराम पुत्र सुण्डाराम, जाति–नायक, 4. श्यामलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र, जाति–नायक, 5. नानूराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र, जाति–नायक, 6. मोहनी पत्नी स्व0 रामचन्द्र, जाति–नायक, 7. बिरदी पत्नी स्व0 सुण्डाराम, जाति–नायक, 8. औमप्रकाश पुत्र स्व0 सुण्डाराम, जाति–नायक, 9. बुलाराम पुत्र स्व0 सुण्डाराम, जाति–नायक, 10. माताबक्ष पुत्र जोधाराम, जाति–मेघवाल, समस्त,निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **16.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद ललासरी में खेत खसरा नम्बर 242 रकबा 54.04 बीघा वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 तक की संयुक्त खातेदारी का है। वर्तमान नकल खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम पुत्र स्व0 जीवणराम ने प्रतिवादी संख्या 03 भैंरूराम पुत्र सुण्डाराम हिस्सा 1/14 भाग भूमि दिनांक 07.03.2013 को जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख के क्रय करके कब्जा प्राप्त कर लिया। भूराराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके वारिसान् वादीगण संख्या 01 ता 03 ने उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त जारी रखा जिसको संलग्न नजरीनक्शा में मार्क ए बी सी डी भूमि के रूप में दर्शित किया गया है। वाद पत्र में नजरीनक्शा अनुसूची "अ" है जो कि वादपत्र का अभिन्न अंग है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र की नकल पेश है।

विवादग्रस्त भूमि में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम का नाम संयुक्त खातेदारों के साथ बतौर खातेदार दर्ज हो गया तथा वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम ने मौके पर उक्त क्रय सुदा भूमि पर जो कि खेत खसरा नम्बर 242 रकबा 54.04 बीघा में से रकबा 01 बीघा है। इस भूमि के चारों ओर डोल कर काश्त कार्य भी करता रहा तथा समय–समय पर उक्त भूमि में खाद डलवाकर उपजाऊ बनाकर खेती भी की जाती है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टी हुई नहीं है। उक्त खसरा में वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 तक का नाम संयुक्त रूप से दर्ज है और इस भूमि में से जो भी बैचाण हुआ है वह सम्भावित हिस्सों में से हुआ है। वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 के मन में लालच आ गया है और वे वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम की उक्त खरीदसुदा भूमि को संयुक्त खातेदारी के मद्दे नजर किसी अन्य को बैचाण करके वादीगण को अजहद नुक्शान पहुँचाने की फिराक में हैं। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोकना आवश्यक है, जिस हेतु वाद पेश है।

विवादग्रस्त भूमि में से वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम द्वारा खरीदसुदा भूमि 01 बीघा पर अलग रूप से मौके पर वादीगण का कब्जा है तथा वादीगण के द्वारा बन्टवारा के लिए कहने पर प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर भूमि बैचाण की धमकी दी है। जबकि संलग्न नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः वाद बाबत् बन्टवारा व घोषणा हेतु पेश है।

बिनाय दावा विवादग्रस्त भूमि वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 की संयुक्त खातेदारी का होने से व इसमें से स्व0 भूराराम की 01 बीघा खरीदसुदा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी भूमि पर वादीगण का कब्जा होने से और उक्त भूमि का बाईमीट्स एवं बाउण्ड्स से बन्टवारा होने से व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 द्वारा किसी अन्य को बैचाण की धमकी देने के कारण से अदालत हाजा के उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद ललासरी में खेत खसरा नम्बर 242 रकबा 54.04 बीघा में से सम्पूर्ण रकबा का 20/1084 हिस्सा अर्थात् 01 बीघा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर संलग्न अनुसूची "अ" में मार्क ए बी सी डी भूमि को अलग से राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/94
दायर दिनांक 13.04.2017, निर्णय दिनांक 16.06.2017
छोटीदेवी, वगैरा बनाम् नेमीचन्द, वगैरा।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 05, 07, 09 व 11 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादीगण का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2068–2071, कृषि भूमि विक्रय पत्र दिनांक 07.03.2017 की छायाप्रति वाद के साथ पेश हुई।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। वादीगण दावा अनुसार, दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया।

प्रतिवादी संख्या 03 स्व0 भैंरूराम ने अपने सम्भावित हिस्सा 1/14 भाग में से रकबा 01 बीघा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के वादीगण के पति/पिता स्व0 भूराराम को विक्रय कर दी थी। उक्त भूमि के सहखातेदारों ने अपनी–अपनी सहमति पेश कर दी है। उक्त भूमि के क्रेता फौत हो चुके है। स्व0 भूराराम के वारिसान् वादीगण हैं। उक्त रकबा 01 बीघा भूमि को स्व0 भूराराम के वारिसान् वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादीगण, स्वीकार किया जाकर डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद ललासरी में खेत खसरा नम्बर 242 रकबा 54.04 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 03 भैंरूराम के हिस्से में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार, रकबा 01 बीघा का वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

सहायक कलक्टर डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 16.06.2017 को कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

सहायक कलक्टर डीडवाना

दि० 22/9/17

नोट! – चाहे सरहद ललासरी के खसरा नं० 242 रकबा 54.04 बीघा में से 01 बीघा का वादीगण को नजरी नक्शा मुताबिक स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/94 | दायर दिनांक 13.04.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. छोटीदेवी पत्नी स्व0 भूराराम, उम्र–70साल, जाति–मेघवाल, निवासी–ललासरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. नेमीचन्द पुत्र स्व0 कालूराम, जाति–नायक, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 16.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद ललासरी में खेत खसरा नम्बर 242 रकबा 54.04 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 03 भैंरूराम के हिस्से में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार, रकबा 01 बीघा का वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मामड़ोदा

दिनांक:- 22/9/17

नोट:- मौजे सरहद ललासरी के खसरा नं० 242 रकबा 54.04 बीघा में से 01 बीघा का वादीगण को नजरी नक्शा अनुसार नक्शे खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner